यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

ासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

स्व वाद संख्या :– 34/2018

1. मनीष रुगटा उर्फ मनीष अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द जाति अग्रवाल निवासी 19 जे ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. किशनचन्द पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी 1 एफ 10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।
2. रघुवीर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह ढाका जाति जाट निवासी ढीगांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. ओम प्रकाश पुत्र भागमल जाति कोचर निवासी हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर।
4. हुकमचन्द पुत्र भागमल जाति कोचर निवासी हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर।
5. ईश्वरी देवी पत्नि श्री ओम प्रकाश जाति कोचर निवासी हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर।
6. सन्त लाल पुत्र श्री रामलाल कोचर जाति कोचर निवासी हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर।
7. गीरीश कुमार पुत्र श्री सन्त लाल कोचर जाति कोचर निवासी हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर।
8. परमजीत सिंह पुत्र निशान सिंह जाति जटसिख निवासी 5 ओ तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी निशान सिंह पैट्रोल पम्प श्रीगंगानगर।
9. महेन्द्र सिंह पुत्र निशान सिंह जाति जटसिख निवासी 5 ओ तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी निशान सिंह पैट्रोल पम्प श्रीगंगानगर।
10. युवरेन्द्र सिंह उर्फ पुरी पुत्र श्री बाघ सिंह जाति जटसिख निवासी 5 ओ तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी निशान सिंह पैट्रोल पम्प श्रीगंगानगर।
11. ओम प्रकाश पुत्र श्री रखाराम भाटिया जाति अरोड़ा निवासी .....
12. कुन्दन लाल पुत्र श्री रखाराम भाटिया जाति अरोड़ा निवासी .....
13. वेद प्रकाश पुत्र श्री त्रिलोकचन्द जाति अरोड़ा निवासी .....
14. राजेन्द्र कुमार पुत्र देसराज जाति बहल खत्री निवासी श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
15. इन्द्रजीत पुत्र देसराज जाति बहल खत्री निवासी श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
16. अशोक कुमार पुत्र देसराज जाति बहल खत्री निवासी श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
17. गुरबख सिंह पुत्र देसराज जाति बहल खत्री निवासी श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
18. देवेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 थर्ड ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
19. जसकरण सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 थर्ड ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
20. निशान सिंह पुत्र महमा सिंह जाति जटसिख
21. बाघ सिंह पुत्र महमा सिंह जाति जटसिख
22. साहबराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

24. राम प्रताप पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
25. कृष्ण लाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
26. सुभाष पुत्र श्री सहीराम गोदारा निवासी रोहिड़ावाली तहसील हनुमानगढ़।
27. साहबराम श्री सहीराम गोदारा निवासी रोहिड़ावाली तहसील हनुमानगढ़।
28. जगरूप सिंह पुत्र देसराज जाति जटसिख निवासी 142 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
29. श्याम लाल पुत्र देसराज जाति जटसिख निवासी 142 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
30. तरसेम सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी 142 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
31. अमृतपाल सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी 142 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
32. बलदेव सिंह मान पुत्र नाम नामालूम निवासी 11 एच
33. गंगेश्वर ब्रिक्स स्थित 6 ई छोटी श्रीगंगानगर।
34. राम कुमार पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी मनफूलसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
35. भूपराम पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी मनफूलसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
36. सन्तोष पुत्र भूपराम जाति मेघवाल निवासी मनफूलसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
37. महावीर पुत्र श्री असाराम जाति जाट निवासी मनफूलसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
38. गौरव मोंगा पुत्र वेद प्रकाश मोंगा जाति अरोड़ा निवासी 114 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।
39. सुधीर फुटेला पुत्र श्री बाबूलाल फुटेला जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर ..... पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
40. दिनेन्द्र पुत्र श्री बिहारी लाल जाति अरोड़ा निवासी ग्रीन फील्ड, श्रीगंगानगर।
41. नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
42. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. बाबत विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता — वादी

प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनाकं 05.09.2018

2. श्री जसकरण सिंह ओलख — प्रतिवादी संख्या 41
3. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 42

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–08.10.2020

वादपत्र के तथ्यानुसार चक 6 ई छोटी पटवार हल्का 4 एमएल जमाबंदी सम्वत 2068 – 2071 के खाता संख्या 15/18 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 16/1(0.88 हैक.)

ला नम्बर 18 (0.253 हैक.)नहरी, कुला 0.379 हैक. नहरी कुल 0.284 हैक. व मुरब्बा नम्बर के किला नम्बर 1 ता 25 तमाम सालम नहरी कुल 6.323 हैक. कुल 8.247 हैक. भूमि में मुमकिन रास्ता 0.1070 हैक. व नहरी 8.167 हैक. दर्ज कागजात माल है। उक्त संयुक्त खाता वाद के पक्षकारान का हिस्सा इस प्रकार से है कि वादी का 0.114 हैक. व प्रतिवादी संख्या का 0.253 हैक. प्रतिवादी संख्या 2 का 0.253 हैक., प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 0.042 हैक., वादी संख्या 5 का 0.042 हैक. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 दोनों का संयुक्त 0.067 हैक. वादी संख्या 8 का 0.126 हैक. प्रतिवादी संख्या 9 का 0.253 हैक. प्रतिवादी संख्या 10 का 01 हैक. प्रतिवादी संख्या 11 का 0.885 हैक. प्रतिवादी संख्या 12 का 1.264 हैक. प्रतिवादी ख्या 13 का 0.114 हैक. प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 का संयुक्त रूप से 0.379 हैक. प्रतिवादी ख्या 20 का 0.199 है. प्रतिवादी संख्या 21 का 0.067 हैक. प्रतिवादी संख्या 22, 23 का 22 हैक. प्रतिवादी संख्या 24, 25 का 0.322 हैक. प्रतिवादी संख्या 26 का 0.126 हैक., वादी संख्या 28, 29 का 0.029 हैक. प्रतिवादी संख्या 30 का 0.028 हैक. प्रतिवाद संख्या का 1.053 हैक. प्रतिवादी संख्या 34 का 1.94 हैक. प्रतिवादी संख्या 35 का 0.253 हैक. वादी संख्या 36 का 0.127 हैक. प्रतिवादी संख्या 37 का 0.115 हैक. प्रतिवादी संख्या 38 0.232 हैक. व प्रतिवादी संख्या 39 का 0.807 हैक्., प्रतिवादी संख्या 40 का 0.04 हैक्. व वादी संख्या 41 का 6.797 हैक. दर्ज कागजात माल है। वर्तमान जामबंदी की नकल लग्न वाद पत्र है। वादग्रस्त संयुक्त खाता में खातेदार प्रतिवादी संख्या 37 महावीर की 90 हैक. भूमि था। खातेदार ने आपस में घरू बंटवारा कर रखा था और महावीर जातवादा मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 11 व 20 में भी हुई थी और खातेदारान को अन्य भूमि ली थी। खातेदार प्रतिवादी सं. 37 महावीर ने अपने हिस्से में से 0.232 हैक. भूमि प्रतिवादी ख्या 38 को व 0.114 हैक. भूमि आशीष गर्ग पुत्र जगदीश राय को जरिये राज. विक्रय पत्र नांक 20.09.2013 को विक्रय कर मुरब्बा नम्बर 34 क किला नम्बर 11 व 20 का कब्जा रीददार को दे दिया और खरीददार मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 11 व 20 की भूमि काबिज हो गये और इस सम्बन्ध में खातेदार महावीर ने एक शपथ पत्र भी किला नम्बर व 20 का कब्जा बाबत खरीददार को दे दिया। महावीर ने भूमि खरीददार आशीष गर्ग ने ब्बा नम्बर 34 में आपना 0.114 हैक. हिस्सा वादी को जरिये बैयनामा दिनांक 08.08.2016 विक्रय कर कब्जा भूमि दे दिया और वादी मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20 की उक्त बिस्वा भूमि पर काबिज हो गया और जमाबंदी में वादी का नाम दर्ज हो गया। वादग्रस्त ने संयुक्त खाता की भूमि है और इस संयक्त खाता में से हिस्सेदार है और हिस्सेदार की ख्या अधिक होने से व खाता बडा होने से आये दिन मामला, लगान व विभाजन की तरह ह से परेशानियां वादी को होती है और भूमि संयुक्त होने से वादी इसका उचित फायदा नहीं ले पा रहा है। इसलिए इस संयुक्त खाता का विभाजन किया जाना आवश्यक है। क संयुक्त खाता के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल भूमि व मुरब्बा नम्बर 13 के किला नमबर 21 22 की भूमि पर खातेदार व अन्य व्यक्ति जरिये ईकरारनामा काबिज थे और अपने मकान नाकर आबाद थे और पटटे भी नगर विकास न्यास से बनावा लिये थे। इसलिए मुरब्बा म्बर 35 सालम व मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 21 व 22 की भूमि नगर विकास न्यास वादी सं. 41 के नाम भी दर्ज हो चुकी है शेष भूमि पर खातेदार काबिज है। मुरब्बा नम्बर व मुरब्बा नमबर 13 के किला नम्बर 21 व 22 पर काबिज व्यक्तियों का अब इस खाता भूमि पर कोई हक व हिस्सा नहीं है और न उनका कोई हिस्सा शेष है। परन्तु जामबंदी नाम दर्ज होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त खाता अलग वाकर वादीगण का इस खाता में मुरब्बा नमबर 34 के किला नम्बर 20 में कब्जा होने से

वादी को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से डिकी जाने बाबत निवेदन किया :–

1. चक 6 ई छोटी के वर्तमान संयुक्त खाता संख्या 15/18 का विभाजन किया जाकर वादी को मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20 की 0.114 हैक. भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व वादी का अलग खाता कायम किया जावे व अलग लगान निर्धारण किया जावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
2. खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
3. अन्य कोई अनुतोष वादी के हक में हो तो दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रस्टिर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण पता के अभाव में नहीं होने के कारण वकील वादी द्वारा ना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन अखबार में साया करवाये जाने " न किया जिसे स्वीकार कर प्रतिवादीगण के सम्मान अखबार में साया करवाने बाबत श दिया गया जिसकी पालना में वकील वदी द्वारा सम्मन अखबार में साया करवाकर बार की प्रति पेश की। प्रतिवदी संख्या 41 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बार में साया सम्मन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 की तलबी होना स्वीकार हुए प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या की ओर से प्रस्तुत जवाब पत्र के तथ्यानुसार वादी द्वारा उक्त चरण में प्रजितवादी संख्या के नाम 6.797 हैक. भूमि दर्ज कागजात माल होना अभिकथित किया है, जो स्वीकार है। 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 25 की 90ए के आदेश क्रमांक –167 दिनांक 10.12.2012 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुओमोटो के अन्तर्गत जारी किये हैं, जिसकी लोक सूचना सं. प्रा.अ/यूआईटी/2012/153–156 दिनांक 30.11.2012 के आपत्ति सूचना मांगी जाकर 90क के आदेश प्रसारित किये गये है। उक्त भूमि का स्व रिकार्ड में इन्काल संख्या 474 दिनांक 07.09.2015 से नगर विकास न्यास, गानगर के नाम दर्ज हो चुका है व मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 21 व 22 की भूमि 0 ए के कार्यवाही के तहत नगर विकास न्यास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दाता/प्रतिवादी नगर विकास न्यास की भूमि का खाता अलग से दर्ज है, इसलिए वाद उत्तरदाता/ प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वादहेतुक प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादी या 41 को उक्त वाद में अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है एवं वाद प्रतिवादी या 41 की हद तक खारिज किये जाने योगय है। स्टेट की ओर से प्रतिवादी संख्या 42 कार राज द्वारा दिनांक 06.11.2018 को जवाबदावा पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष सनुने के पश्चात् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया र दिनांक 01.07.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक भू.अ. 19/3189 दिनांक 12.07.2019 के विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्तागण द्वारा तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर लिखित अनापत्ति दर्ज करते हुए तहसीलदार(राजस्व) गानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवदेन किया गया।

–:: आदेश ::–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से प्राप्त जन प्रस्ताव के आधार पर वादी को चक 6 ई छोटी के वर्तमान संयुक्त खाता संख्या /18 का विभाजन किया जाकर वादी को मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20/2 की 4 हैक. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन ें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा ी जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार ी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग ान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.10.2020 को जारी या जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर